# मुक्तिधाम में पौधारोपण किया

**कोटा,** (निसं)। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा बुधवार को स्टेशन स्थित संजय गांधी मुक्तिधाम परिसर में पर्यावरण संरक्षण एवं गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

फेडरेशन के अध्यक्ष जी.पी.सिंह एवं उपाध्यक्ष एम. एस.बग्गा के नेतृत्व में सदस्यों ने मुक्तिधाम में पूर्व में लगाए गए पौधों की देखभाल की, खराब हुए पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाए और वृक्षों की सिंचाई की।

प्रेस सचिव राजेश गौतम ने बताया कि इसके पश्चात सदस्यो ने मुक्तिधाम स्थित गौशाला में पहुंचकर गायों की देखभाल की और हरा चारा खिलाया।

इस मौके पर देव शर्मा, आर. के. अग्रवाल, हरीश खांडेकर, राजेश कपूर, अजय कपूर और मोहन सिंह सहित कई सदस्य मौजूद थे।

# अवैध मादक पदार्थ 90 किलो डोडा-चूरा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

**कोटा,** (निसं)। ग्रामीण इलाके की मंडाना पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक कार से अवैध मादक पदार्थ 90.320 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, टीम ने कार्यवाही करते हुए कार को जप्त किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान ऑपरेशन रूट क्लियरेंस चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मंडाना थाने के थानाधिकारी सुमेर सिंह मय जाप्ता इलाके में गश्त व चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध कार गोपालपुरा टोल प्लाजा के समीप घुम

- मादक पदार्थ पंजाब ले जाया जा रहा था

रही है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और मुखबीर द्वारा बताई गई कार को देखकर पुलिस टीम ने कार चालक को रोकना चाहा तो कार चालक द्वारा तेज गति से कार को भगाकर ले जाने लगा।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को संदेह होने पर टीम ने कार का पीछा किया और फाटाखेड़ा पुलिया के नीचे कार को रूकवाकर कार में बैठे लोगों से पूछताछ की गई कोई संतोषप्रद जबाव नही मिलने पर पुलिस टीम ने दोनो व्यक्तियो को डिटेन कर कार की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान कार मे अवैध मादक पदार्थ 90.320 किलोग्राम डोडा-चूरा बरामद किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही में जप्त मादक पदार्थ व वाहन की कीमत करीब 25 लाख है।

पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट मे कार्यवाही करते हुए जिला मलेरकोटला पंजाब के झुंडा निवासी वीरेन्द्र सिंह डिंडसा (45) एवं जिला मलेरकोटला पंजाब के हरनामा कॉलोनी अमरगढ़ निवासी अमरिन्दर सिंह (42) को गिरफ्तार किया, ग्रामीण एसपी ने बताया कि मामले में सामने आया कि अवैध मादक पदार्थ मध्यप्रदेश के मंदसौर से ग्रामीण क्षेत्र होते हुए पंजाब ले जाया जा रहा था, पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

# मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन के लिए विशेष शिविर लगाया

**कोटा,** (निसं)। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और सहायता की जिम्मेदारी निभाने वाले आरपीएफ कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन के लिए आरपीएफ रिजर्व लाइन में हार्टफुलनेस के सहयोग से विशेष शिविर आयोजित किया गया, शिविर में 51 आरपीएफ कर्मियों ने भाग लिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्री सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में आरपीएफ कर्मियों के लिए मानसिक सतर्कता, धैर्य और एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नियमित ध्यान एवं योग का अभ्यास तनाव कम करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। शिविर में हार्टफुलनेस के पुष्पेंद्र शर्मा ने कर्मचारियों को ध्यान एवं योग का अभ्यास कराते हुए तनाव प्रबंधन के सरल तरीके बताए।

# रामलीला में धनुष यज्ञ, रावण-बाणासुर संवाद का मंचन

**कोटा,** (निसं)। रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में शिव मंडल विकास समिति द्वारा आयोजित 53वीं रामलीला के अंतर्गत बुधवार को धनुष यज्ञ, रावण-बाणासुर संवाद एवं लक्ष्मण-परशुराम संवाद का कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली मंचन किया गया। धनुष यज्ञ के दौरान प्रभु श्रीराम द्वारा धनुष तोड़ते ही पूरा पंडाल तालियों और जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। धनुष टूटने के बाद माता सीता ने प्रभु श्रीराम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण किया। इस प्रसंग का मंचन देखकर उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो गए। इसके पश्चात भगवान परशुराम के क्रोधित होकर सभा में पहुंचने तथा लक्ष्मण-परशुराम संवाद का कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय किया। दोनों के बीच हुए तीखे संवादों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रावण-बाणासुर संवाद का भी

- रामलीला में प्रतिदिन रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है

आकर्षक मंचन किया गया। शिव मंडल विकास समिति के अध्यक्ष प्रताप भान सिंह ने बताया कि रामलीला में प्रतिदिन रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है। आगामी कार्यक्रमों में राम विवाह, राम वनवास, निषादराज भेंट तथा केवट संवाद सहित अन्य प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। रामलीला का आयोजन 20 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि 8.30 बजे से शिव मंदिर, रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी, कोटा जंक्शन पर किया जा रहा है। इसमें राधा सर्वेश्वरी रामलीला एवं रासलीला मंडली, वृंदावन-मथुरा के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं।

# 'नारी राष्ट्र गौरव युवती सम्मेलन' में नारी शक्ति का संदेश दिया

**कोटा,** (निसं)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से नारी राष्ट्र गौरव युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में करीब 2,000 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। युवतियों की भारी उपस्थिति के बीच नारी शक्ति, भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

एबीवीपी की महानगर मंत्री दीप्ति मेवाडा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कल्पना देवी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. विमला डुंकवाल तथा विशेष उपस्थिति के रूप में अभाविप की राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक प्रेरणा भारद्वाज एवं चित्तौड प्रांत की प्रांत सहमंत्री चेतना पांचाल उपस्थित रहीं। सम्मेलन का उद्देश्य युवतियों

- सम्मेलन में करीब 2,000 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की
- 'नारी समाज की आधारशिला है और राष्ट्र निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है'

में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और नारी शक्ति के महत्व को उजागर करना है।

उन्होंने कहा कि नारी समाज की आधारशिला है और राष्ट्र निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। युवतियों को अपनी प्रतिभा एवं सामर्थ्य पहचानकर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। मुख्य अतिथि विधायक कल्पना देवी ने कहा कि नारी शक्ति भारतीय संस्कृति और समाज की सशक्त आधारशिला है। महिलाओं एवं युवतियों को शिक्षा, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।

विशिष्ट अतिथि प्रो.विमला डुंकवाल ने कहा कि नारी शक्ति देश की प्रगति और समृद्धि का आधार है। अभाविप की राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक प्रेरणा भारद्वाज ने कहा कि नारी सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए समान अवसर और सही दिशा प्रदान करना है। प्रत्येक युवती में समाज को नई दिशा देने की क्षमता है।

# रामपुरा की महारानी का मनमोहक श्रृंगार

**कोटा,** (निसं)। नवदुर्गा सेवा समिति, रामपुरा, कोटा के तत्वावधान में रामपुरा की महारानी का प्रतिदिन नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, आकर्षक परिधान, प्रतिदिन लगने वाला भोग और वहां आने वाले भक्तों का रैला थमने का नाम नहीं ले रहा है, प्रतिदिन संध्या आरती में सैकडों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। समिति के संरक्षक विश्वनाथ शर्मा, अमरनाथ शर्मा ने बताया कि कोटा ही नहीं दूरदराज से भी लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देर रात तक रामपुरा की महारानी के दर्शनों के लिए लोगों की कतारें लग रही है। महारानी का प्रतिदिन श्रृंगार हो रहा है, जिसमें गुजरात से डेकस आ रही है वहीं दिल्ली से इंग्लिश फूलों का हार आ रहा है। प्रतिदिन एक समय पांच किलो पुष्पहार पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां महिला मंडल की ओर से भजन गाए जा रहे हैं। पार्षद अमरनाथ शर्मा ने बताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों ने रामपुरा की महारानी के विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रतिदिन कार्यक्रमों के माध्यम से माताराणी का गुणगान हो रहा है। आज गुरूवार को रात्रि 8.30 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर को महाआरती रात्रि 8 बजे होगी जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालू उपस्थित रहेंगे। वहीं 17 अक्टूबर को डांडिया रास का आयोजन होगा, जिसमें बालिकाएं शामिल होंगी और विजेताओं को नवाजा जाएगा। 20 अक्टूबर को माताराणी का विसर्जन सायं 6 बजे होगा, जिसमें धूमधाम से बैंड बाजों के साथ माताराणी को विसर्जन किया जाएगा। इसी दिन 2100 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा और कार्यक्रम का समापन होगा।

# ट्रैप शूटर नंदीका सिंह ने बरेटा शॉटगन गोल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, कोटा का मान बढ़ाया

**कोटा,** (निसं)। दिल्ली स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 8 से 13 अक्टूबर तक आयोजित प्रतिष्ठित बरेटा शॉटगन गोल्ड कप में कोटा की बेटी और प्रतिभावान ट्रैप शूटर नंदीका सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।

विश्व विख्यात कंपनी बरेटा की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेशनल राईफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश-विदेश के 300 से अधिक शीर्ष अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शॉटगन शूटर्स ने हिस्सा लिया था। सीनियर वुमेन ट्रैप शूटिंग कैटेगरी में कड़े मुकाबले के बीच नंदीका ने कई दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह शीर्ष उपलब्धि हासिल की। नंदीका के पिता एवं कोच अशोक पाल सिंह ने जानकारी दी कि इसी वर्ष नंदीका ने ट्रैप शूटिंग में स्टेट चैंपियन का खिताब जीतने के अलावा 'ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन' में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था।

शॉटगन शूटिंग में यह उनका मात्र तीसरा वर्ष है, जबकि इससे पहले वह पिस्टल शूटिंग में भी कई पदक जीत चुकी हैं। अब तक वह राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 20 से अधिक पदक जीतकर कोटा और राजस्थान का नाम रोशन कर चुकी हैं। अशोक पाल सिंह ने बताया कि शॉटगन शूटिंग एक बेहद खर्चीला और चुनौतीपूर्ण खेल है, जिसमें सफलता के लिए अत्यधिक मानसिक एकाग्रता और निरंतर की अभ्यास की आवश्यकता होती है। मात्र तीन साल के अल्प समय में शीर्ष स्तर पर पहुंचने वाली नंदीका का मुख्य लक्ष्य देश के लिए ओलंपिक का पहला महिला ट्रैप शूटिंग गोल्ड मेडल जीतना है।

इस शानदार सफलता का श्रेय शॉटगन कोच केसरी सिंह नाचना के विशेष मार्गदर्शन तथा कोटा जिला प्रशासन एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से समय-समय पर मिले सहयोग को जाता है। जिसके चलते उन्हें अपने खेल को निखारने में अभूतपूर्व सहायता मिली। नंदीका की इस ऐतिहासिक जीत पर खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने शुभकामनाएं दी है।

# अग्निशमन कार्मिकों को मूल पद पर लगाने की मांग

**छबड़ा** (निसं)। दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने और आमजन की सुरक्षा को लेकर छबड़ा नगरपालिका के अग्निशमन कार्मिकों को उनके मूल पद पर लगाने की मांग उठी है। कार्मिकों का कहना है कि फायरमैन जैसे आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारियों को अन्य शाखाओं में लिपिकीय एवं गैर अग्निशमन कार्यों में लगाने से जरूरत के समय अग्निशमन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाते हुए सभी अग्निशमन कार्मिकों को मूल कार्य की जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है।

अग्निशमन कार्मिक रवि यादव, सत्यप्रकाश मेघवाल, गिर्राज नागर, सुरेंद्र और नरेश सांखला ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश में राज्य के नगर निकायों में कार्यरत प्रशिक्षित एवं डिप्लोमाधारी फायरमैन की सेवाएं उनके मूल अग्निशमन कार्यों में लेने तथा उनसे नियमित रूप से गैर अग्निशमन एवं लिपिकीय कार्य नहीं करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद यहां की नगरपालिका में अग्निशमन कार्मिकों से विभिन्न शाखाओं में कार्य करवाया जा रहा है। कार्मिकों ने बताया कि दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं की आशंका को देखते हुए अग्निशमन दल का हर समय तैयार रहना आवश्यक है। यदि अग्निशमन कार्मिक अन्य कार्यों में लगे रहेंगे तो आपात स्थिति में घटनास्थल पर समय पर पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इससे जनहानि और धनहानि का जोखिम बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इस मामले में निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर नगरपालिका के सभी अग्निशमन कार्मिकों को उनके मूल पद पर पदस्थापित करने की मांग की गई है।


## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

### वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

| क्रमांक | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | सैक्शन 13 (2) के नोटिस तिथि | सैक्शन 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87564169 और 151689042 | गृह ऋण | 26 सितंबर 2026 | 9,64,104.41/- |

**ऋणग्रहिताओं एवं सह ऋणग्रहिताओं का नामः** 1. रामनिवास नगर, 2. धन्नालाल नगर, 3. मोहनी बाई

**सम्पत्ति पता-** पट्टा संख्या 13 के साथ प्लॉट का वह पूरा टुकडा और पार्सल, प्लॉट क्षेत्र 45 x 40 = 1800 वर्ग फीट, खसरा संख्या 201 पर स्थित ग्राम-पिपिल्या जागीर, ग्राम पंचायत-खोपर, पंचायत समिति-छाबडा, जिला-बारां, राजस्थान-325220 और इसकी सीमाएं-पूर्व-नानीबाई पत्नी बाबू खान का मकान, पश्चिम-घर का प्रवेश द्वार, उत्तर-जगदीश पुत्र बद्रीलाल नगर, दक्षिण-सुरेशचंद पुत्र हीरालाल नगर

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक- 15.10.2026 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित
स्थान- राजस्थान और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)





## कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 153 दिनांक : 13.10.26

**नाम हस्तांतरण वाहने बाबत् आम सूचना**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा दुकान/भूखण्ड संख्या-23 रंग विहार आवासीय योजना का आवंटन/नामहस्तारण क्रमांक 253 दिनांक 03.08.1996 को श्रीमति कमला तिवारी पत्नि श्री कल्याण प्रसाद तिवारी को जारी किया गया। श्री कमला तिवारी की मृत्यु दिनांक 09.04.2016 को मृत्यु हो जाने के उपरांत विधिक वारिसान/वसीयत/हक त्याग (रिलीज डीड) के आधार पर श्री कौशल किशोर दीक्षित पुत्र स्व. श्री राम निवास दीक्षित द्वारा उक्त भूखण्ड/दुकान को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/दुकान संख्या- 23 रंग विहार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री कौशल किशोर दीक्षित पुत्र स्व. श्री राम निवास दीक्षित के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

## कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/59 दिनांक : 14.10.2026

**नाम हस्तातंरण वाहने बाबत आम सूचना**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 26 गुमानपुरा थाने के पीछे व्यावसायिक योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 76 दिनांक 19.11.1992 को एन.ए. बद्रर्स प्रो. श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री वी.पी. अग्रवाल के नाम आवंटन किया गया था। एन.ए. बद्रर्स प्रो. श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री वी.पी. अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री सैफुद्दीन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन रंगवाला द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2002 को श्री अब्बास हुसैन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री अब्बास हुसैन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 26 गुमानपुरा थाने के पीछे व्यावसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्री अब्बास हुसैन पुत्र श्री हाजी मुल्ला एजाज हुसैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

## कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 154 दिनांक : 13.10.26

**नाम हस्तातंरण वाहने बाबत् आम सूचना**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की सुभाष नगर आवासीय योजना के भूखंण्ड/आवास संख्या 906 का आवंटन/विक्रय/ हस्तान्तरण/रजि. प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 479 दिनांक 05.03.2021 को श्री अंकुर खुराना पुत्र श्री सतपाल खुराना को आवंटन/ नामांतरण/रजि. किया गया था। आवंटी श्री अंकुर खुराना द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का मुख्तारआम श्री नरेश अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानचंद को कर दिया गया। मुख्तारआम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.08.2026 को श्री निर्मल नागर पुत्र श्री दुर्गाशंकर नागर को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाब गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 906 योजना सुभाष नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री निर्मल नागर पुत्र श्री दुर्याशंकर नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

## कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/1328 दिनांक : 14.10.2026

**विज्ञप्ति**

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगबाड़ी योजना ''गुलाबबाड़ी'' खसरा नं. 164 में स्थित भूखण्ड संख्या 11 का पश्चिमी भाग के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदक/आवेदिका श्री अंशुमन अग्रवाल पुत्र श्री गिर्राज अग्रवाल निवासी - 3/399, स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 578 दिनांक 02-10-2021 को श्री गिर्राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल अग्रवाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मृत्यु दिनांक 03.07.2025 को हो चुकी है। पट्टेधारी द्वारा अपने जीवनकाल में जर्ये रजि. वसीयतनामा दिनांक 12.08.2025 से आवेदक के पक्ष मे किया गया है। इस वसीयतनामा के आधार पर आवेदक द्वारा भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री अंशुमन अग्रवाल पुत्र श्री गिर्राज अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

## कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक-ननिको/भ.नि.अनु./2026/25041929 दिनांक- 14.10.2026

**भू-उपयोग परिवर्तन बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन निवासी 16 यू.आई.टी स्कीम अम्बेडकर नगर सकतपुरा कोटा (राज.) द्वारा भूखण्ड संख्या- 584-ए, तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण नगर निगम कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक 1623-24 दिनांक 16.06.2020 से श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन के पक्ष में नामातंरण किया गया है। आवेदित भूखण्ड का भू उपयोग कोटा शहर के अनुमोदित मास्टर/ मास्टर / जोनल प्लान व प्रचलित नियमों के दृष्टिगत मिश्रित प्रयोजनार्थ निर्धारित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड 584-ए. तलवण्ड़ी कोटा क्षेत्रफल- 4500 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार भूखण्ड के आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन बाबत किसी व्यक्ति / संस्था आदि या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता हो, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस की अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

## कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक-ननिको/भ.नि.अनु./2026/25041994 दिनांक- 14.10.2026

**भू-उपयोग परिवर्तन बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन निवासी 16 यू.आई.टी स्कीम अम्बेडकर नगर सकतपुरा कोटा (राज.) द्वारा भूखण्ड संख्या- 585-ए, तलवण्ड़ी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट एवं भूखण्ड से लगी हुई भू-पट्टी क्षेत्रफल 333 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण नगर निगम कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक 8174-75 दिनांक 04.07.2018 से श्री लोकेन्द्र जैन पुत्र श्री खुबचन्द एवं श्रीमती शालिनी जैन पत्नी श्री लोकेन्द्र जैन के पक्ष में नामातंरण किया गया है। आवेदित भूखण्ड का भू उपयोग कोटा शहर के अनुमोदित मास्टर/जोनल प्लान व प्रचलित नियमों के दृष्टिगत मिश्रित प्रयोजनार्थ निर्धारित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड 585-ए, तलवण्ड़ी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट एवं भूखण्ड से लगी हुई भू-पट्टी क्षेत्रफल 333 वर्गफुट का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार भूखण्ड के आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी व्यक्ति/ संस्